संख्या-46/2019/381/ सात-न्याय -9(बजट)-2019-800/(43)/2013

प्रेषक,

दिनेश कुमार सिंह-II,
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0 उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद ।

न्याय अनुभाग-9 बजट   लखनऊ दिनांक 15 मार्च, 2019

विषय- जनपद कासगंज में न्यायिक अधिकारियों के लिए श्रेणी-5 के 13 नग आवासो के निर्माण हेतु अतिरिक्त धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0-75/2016/730/सात-न्याय-9(बजट)-2016-800(43)/2016 दिनांक 22 मार्च,2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से जनपद कासगंज मे न्यायिक अधिकारियों के लिए श्रेणी-5 के 13 नग आवासो (जी*1 आधार के 12 तथा 01 नग भूतल) के निर्माण हेतु मानकीकृत लागत रू0618.53 लाख के आगणन प्रशासकीय/ वित्तीय अनुमोदन के साथ-साथ प्रथम किश्त के रूप में रू0 30.00 लाख की धनराशि स्वीकृत की गयी है ।

2- तत्क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद कासगंज में न्यायिक अधिकारियों के लिए श्रेणी-5 के 13 नग आवासों के निर्माण कार्य की गति को बनाये रखने हेतु अनुमोदित लागत के सापेक्ष रू0200.00 लाख की अतिरिक्त धनराशि निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन व्यय हेतु स्वीकृत किये जाने की महामहिम श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1- चूंकि उक्त निर्माण कार्य हेतु उ0प्र0, राजकीय निर्माण निगम कार्यदायी संस्था नामित है। अत: उक्त स्वीकृत धनराशि आहरित करके इकाई प्रभारी , उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, इकाई कासगंज को उपलब्ध कराने हेतु निबन्धक उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच लखनऊ को अधिकृत किया जाता है।

2- स्वीकृत धनराशि बैंक खाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी तथा स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31-03-2019 तक अवश्य कर लिया जायेगा।

3- लेबर सेस की धनराशि श्रम विभाग को नियमानुसार उपलब्ध कराया जायेगा।

4-स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा। शासनादेश सं0-75/2016/730/सात-न्याय-9(बजट)-2016-800(43)/2016 दिनांक 22 मार्च,2016 की शेष शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे ।

5- प्रश्नगत कार्य के सम्बन्ध में प्रदेश का राजकोषीय प्रबन्धन विषयक वित्त आय व्ययक अनुभाग 2 के शासनादेश सं0 बी 2-171 / दस - 2008- 244- 5/2008, दिनांक 21 जनवरी ,2010 में दिये गये निर्देशों का कडायी से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए निर्माण एजेन्सी/ सम्बन्धित उत्तरदायी होंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-2019 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-42 के अधीन लेखाशीर्षक 4216-आवास पर पूंजीगत परिव्यय - 01-सरकारी रिहायशी भवन-700-अन्य आवास- 01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें - 01-जनपदों में न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासों का निर्माण (के0-60/रा0-40, के0*रा0)- 24 वृहत निर्माण कार्य, के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/ बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च,2018 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारो के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(दिनेश कुमार सिंह-।।)
प्रमुख सचिव

संo-46/2019/381(1)/सात-न्याय-9(बजट)-2019, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) रिपोर्ट लेखा अनुभाग उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) उ0प्र0, इलाहाबाद ।
3- निबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, लखनउ बेंच लखनऊ ।
4- निजी सचिव, अध्यक्ष अवस्थापना मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद को मा0 अध्यक्ष के अवगतार्थ।
5- जनपद न्यायाधीश कासगंज /जिलाधिकारी, कासगंज ।
6- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, प्रथम तल, जवाहर भवन, लखनऊ ।
7- कोषाधिकारी, कलेक्टेट लखनऊ मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ बेंच लखनऊ के माध्यम से।
8- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ ।
9- इकाई प्रभारी, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, कासगंज ।
10- वित्त ई- 12।
11- सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी/ गार्डबुक न्याय-9 (बजट) ।

आज्ञा से,

(ओम प्रकाश)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।